फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

छैलीलाल / गुलाब...

पत्रावली संख्या : 33/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/8/24	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/8/24 को पेश हो।	
16/8/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ०३५० प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस हेतु समय चाहा। आ०ता० पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें अन्यथा प्रा०पत्र पूर्व आदेशानुसार गुणावगुण के आधार पर निर्णित कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 29/8/2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
29/8/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। उभयपक्ष को मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश मूलवाद के निस्तारण तक दिये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

नियमित प्रा. पत्र संख्या – 33/2023 प्रार्थना पत्र प्रस्तुति दिनांक –10.05.2023

1. बंशीलाल उर्फ बंशीधर पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामपाल पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाराम पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. रामकुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. गणेश पुत्र प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. अनिता पुत्री मोहनलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. मदनलाल पुत्र चौथूराम जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. मोहनी देवी पत्नी मोहनलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. राहुल पुत्र मोहनलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. शंकरलाल पुत्र सोहनराम जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

8/1. प्रेमदेवी पत्नी शंकरलाल जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

8/2. मुकेश पुत्र शंकरलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

8/3. दिनेश पुत्र शंकरलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

8/4. राजू पुत्री शंकरलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

8/5. कमली पुत्री शंकरलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

8/6. सुनिता देवी पुत्री शंकरलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

9. श्रवणलाल पुत्र मोहनलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम शुभरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।
11. उपपंजीयक आमेर तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा – अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री मोहनलाल जाट – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से

दिनांक 30.08.2024

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से अन्य सहकाश्तकारी की भूमि मद संख्या 1 की उपमद 'ब' व 'स' में वर्णित अवैधानिक कृत्य करने से मना करने तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की समस्त सहकाश्तकारी की भूमि का आपसी सहमति से तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर विधिक विभाजन करने के लिए कहा तब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 इंकार हो गये तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 की उपमद 'ब' व 'स' में वर्णित खसरा नंबर 148, 150, 154, 155, 192, 194 जो कि 30 फिट सडक के लगवा है तथा खसरा नंबर 193, 194, 196 रीको क्षेत्र के नजदीक की भूमि है, जिस पर हम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तामीरात कर अपने कब्जे में ले लेंगे। तुम्हें विवादग्रस्त भूमि में वर्णित खसरा नंबर में जो कि 1 लाख 32 हजार के.वी. की विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे है उक्त भूमि तुम्हें दे देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हो। मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का बेटा राधेश्याम तहसील आमेर में पटवारी है। हम चाहेंगे वैसे भूमि हमारे हिस्से में ले लेंगे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के अंतिम निर्णय तक अप्रार्थीगण को प्रतिबन्धित किया जावे कि वाके ग्राम शुभरामपुरा, पटवार हल्का खोराबीसल, भू–अभिलेख निरीक्षक खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित खाता संख्या 43 में वर्णित खसरा नंबर 125 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 126 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 159 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 187 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 202/240 रकबा 0.63 हैक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर पर निर्माण कार्य नहीं करे व भूमि विवादग्रस्त के स्वरूप को नहीं बदले तथा भूमि विवादग्रस्त के विशिष्ट भू–भाग को स्वयं का बताते हुए किसी तृतीय पक्षकार के हक में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करें तथा भूमि विवादग्रस्त का किसी प्रकार से हस्तान्तरण, रहन, विक्रय, दान आदि नहीं करे तथा न स्वयं करे और ना ही अपने एजेंट सर्वेंट आदि से करावे। मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने कभी भी विभाजन हेतु मिन

सहायक कलक्टर

त्तरदातागण से वार्तालाप नहीं की है ना ही मिन उत्तरदाता ने कभी उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द रने का प्रयास किया है बल्कि मिन उत्तरदातागण अपने हिस्से की भूमि खसरा नंबर 128 व 31 पर काबिज काश्त है सभी पक्षकारानों ने 1 लाख 32 हजार के.वी. की विद्युत हाईटेंशन ाईन के नीचे की भूमि सभी खातेदारों ने अपने हिस्से अनुसार प्राप्त कर रखी है, यदि पूर्व में ये आपसी मनबंट व कब्जे काश्त के अनुसार प्राप्त कर रखी हैं, यदि पूर्व में हुये आपसी नबंट व कब्जे काश्त के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को ोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण मिन उत्तरदाता को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद कराने ा अधिकारी नहीं है। एक रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि पर पूर्ण प से उपयोग उपभोग करने का हक व अधिकार प्राप्त है। यदि मिन उत्तरदाता को किसी कार की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो मिन उत्तरदाता को अपूरतनीय क्षति होगी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई जिन्होने ुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। प्रार्थी ने कथन केया की वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, अप्रार्थीगण जबरन बिना विभाजन निर्माण कार्य करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा। प्रस्तुत तर्को एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि पर निर्माण करते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नंबर 125 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 159 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.50 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 202/240 रकबा 0.63 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर वाके ग्राम शुभरामपरा तहसील आमेर हाल तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर ग्रामीण में मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर